रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228146 CG-DL-E-06072021-228146

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

No. 277]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

### अधिसुचना

गांधीनगर, 5 जुलाई, 2021

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु012.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

### अध्याय ।

### प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 है।
- (2) ये विनियम, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- (3) ये विनियम, प्राधिकरण द्वारा संगठनात्मक विषयों की बाबत बनाए गए विनियमों को लागू नहीं होंगे।

### 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 अभिप्रेत है; और

3736 GI/2021 (1)

- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है:
- (2) उन शब्दों और पदो के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

### अध्याय 2

### विनियमों का बनाया जाना

### 3. विनियम बनाना

प्राधिकरण, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम 4 और विनियम 5 के अनुपालन में प्राधिकरण के अनुमोदन से विनियम बना सकेगा।

### 4. लोक परामर्श

- (1) प्राधिकरण, विनियम बनाने के प्रयोजनार्थ, जनता से टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए अपनी वैबसाइट पर निम्नलिखित अपलोड करेगा:-
  - (क) प्रस्तावित विनियमों का प्रारूप:
  - (ख) अधिनियम का ऐसा विनिर्दिष्ट उपबंध जिसके अधीन प्राधिकरण का विनियम बनाने का प्रस्ताव है;
  - (ग) उस मुद्दे के संबंध में कथन, जिसे प्रस्तावित विनियमों द्वारा सुलझाने की ईप्सा की गई है;
- (घ) प्रस्तावित विनियम से सुसंगत अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाले अभिकरणों द्वारा समर्थित मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों, यदि कोई हैं, के संबंध में कथन; और
  - (ङ) जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने की रीति, प्रक्रिया और समय-सीमा ।
- (2) प्राधिकरण जनता को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए साधारणतया कम से कम 21 दिन अनुज्ञात करेगा।
- (3) प्राधिकरण, जनता से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार करेगा और उन्हें विनियमों की अधिसूचना की तारीख के अपश्चात् टिप्पणियों पर अपने प्रत्युत्तर से संबंधित साधारण कथन सहित अपनी वैबसाइट पर अपलोड करेगा ।
- (4) यदि प्राधिकरण विनियमों को उसके द्वारा प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए किए गए परिवर्तनों से अन्यथा, प्रस्तावित विनियमों से सारवान् रूप से भिन्न रूप में अनुमोदित करने का विनिश्चय करता है तो वह इस विनियम के अधीन इस प्रक्रिया को दोहराएगा।
- (5) विनियमों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् तुरंत अधिसूचित किया जाएगा और उनके प्रवर्तन की तारीख उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से होगी।
- (6) इस विनियम में के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझता है, विनियमों का प्रारूप तैयार करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए ऐसी विशेषज्ञ या सलाहकारी समितियां गठित कर सकेगा, जो वह समुचित समझे।

## 5. अत्यावश्यक विनियम

- (1) जहां प्राधिकरण की यह राय है कि कितपय विनियम अत्यावश्यक रूप से बनाए जाने अपेक्षित हैं या विद्यमान विनियमों में अत्यावश्यक रूप से संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो वह इस अध्याय के अधीन उपबंधों का अनुसरण किए बिना, यथास्थिति, ऐसे विनियम बना सकेगा या विद्यमान विनियमों में संशोधन कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि उन उपबंधों के अनुपालन के लिए अपेक्षित समय के कारण वे उद्देश्य विफल हो जाएंगे जिन्हें पूरा करने की ईप्सा की गई है या समस्या के निवारण में असम्यक् विलंब कारित होगा या बाजार में विफलता आएगी, बशर्तें वह ऐसा करने के लिए विस्तृत न्यायौचित्य प्रस्तुत करता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन बनाए गए विनियम तब तक अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएंगे जब तक उन्हें इन विनियमों के अनुसार बनाए गए विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता है।

परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व बनाए गए सभी विनियम, इन विनियमों के अनुसार बनाए गए समझे जाएंगे और वे तब तक विधिमान्य बने रहेंगे जब तक उन्हें संशोधित, निरसित या प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता है।

#### अध्याय 3

## विनियमों का संशोधन और पुनर्विलोकन

## 6. विनियमों का संशोधन

किसी भी विनियम में संशोधन, अध्याय 2 के उपबंधों के अनुपालन में किया जाएगा।

## 7. विनियमों का पुनर्विलोकन

प्राधिकरण, प्रत्येक विनियम का तब तक प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकन करेगा जब तक कि इससे पूर्व पुनर्विलोकन अपेक्षित नहीं होता है और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किसी विनियम का संशोधन या निरसन करेगा –

- (क) उसके उद्देश्य;
- (ख) उसके परिणाम:
- (ग) उसके क्रियान्वयन का अनुभव;
- (घ) उसके प्रवर्तन का अनुभव और संबंधित मुकदमेबाजी;
- (ङ) वैश्विक सर्वोत्तम पदधतियां, यदि कोई हैं;
- (च) परिवर्तित वातावरण में उसकी सुसंगति; और
- (छ) कोई अन्य कारक, जो प्राधिकरण द्वारा सुसंगत समझा जाए ।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन**-**III/4/असा./142/2021-22]

# INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 5th July, 2021

## **International Financial Services Centres Authority (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021**

IFSCA/2021-22/GN/REG012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

### **CHAPTER I**

### **PRELIMINARY**

### 1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021.
- (2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall not apply to regulations made by the Authority in respect of organizational matters.

### 2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and
- (b) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

### **CHAPTER II**

### MAKING OF REGULATIONS

### 3. Making regulations.

The Authority may make regulations to carry out the provisions of the Act with the approval of the authority, in compliance with regulations 4 and 5.

### 4. Public Consultation.

- (1) For the purpose of making regulations, the authority shall upload the following on its website seeking comments from the public: -
  - (a) draft of proposed regulations;
  - (b) the specific provision of the Act under which the authority proposes regulations;
  - (c) a statement of the issue that the proposed regulation seeks to address;
  - (d) a statement carrying norms advocated by international standard setting agencies and the international best practices, if any, relevant to the proposed regulation; and
  - (e) the manner, process and timelines for receiving comments from the public.
- (2) The Authority shall ordinarily allow at least 21 days for public to submit their comments.
- (3) The Authority shall consider the public comments received and upload the same on its website along with a general statement of its response on the comments, not later than the date of notification of regulations.
- (4) If the Authority decides to approve regulations in a form substantially different from the proposed regulations other than changes made in consideration of comments received by it, it shall repeat the process under this regulation.
- (5) The regulations shall be notified promptly after it is approved by the Authority and the date of their enforcement shall be from the date specified therein.
- (6) Without prejudice to provisions in this regulation, the Authority may if it considers necessary constitute expert or advisory committees, as it may consider appropriate for making recommendations on drafting regulations.

### 5. Urgent regulations.

- (1) Where the Authority is of the opinion that certain regulations are required to be made or existing regulations are required to be amended urgently, it may make such regulations or amend the existing regulations, as the case may be, with the approval of Authority, without following the provisions under this Chapter, if it considers that time required for compliance with those provisions would defeat the objectives sought to be achieved or cause undue delay in redressing the problem or market failure, provided it submits detailed justification for doing so.
- (2) The regulations made under sub-regulation (1) shall automatically lapse after a period of six months from the date of notification unless replaced by regulations made in accordance with these regulations.

Provided that all regulations made prior to the notification of these regulations shall be deemed to have been made in accordance with these regulations and shall remain valid unless amended, repealed, or replaced.

### **CHAPTER III**

### AMENDMENT AND REVIEW OF REGULATIONS

### 6. Amendment of Regulations.

An amendment to any regulations shall be made in compliance with the provisions of Chapter II.

### 7. Review of Regulations.

The Authority shall review each regulation every three years unless a review is warranted earlier and amend or repeal any regulation, keeping in view-

- (a) its objectives;
- (b) its outcome;
- (c) experience of its implementation;
- (d) experience of its enforcement and the related litigation;
- (e) global best practices, if any;
- (f) its relevance in the changed environment; and
- (g) any other factor considered relevant by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./142/2021-22]